दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, रविवार 19 जनवरी 2020 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 112

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

राहुल का कठोर परिश्रमी पीएम मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं

» इतिहासकार रामचंद्र गुहा बोले

कोझिकोड (आरएनएस)। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि केरल के लोगों ने खानदान की पांचवी पीढ़ी के राहुल गांधी को संसद के लिए चुनकर विनाशकारी काम किया है। गुहा ने इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता के पास भारतीय राजनीति में कठोर परिश्रमी और खुद मुकाम बनाने वाले नरेंद्र मोदी के सामने कोई मुकाबला नहीं है। गुहा ने कहा कि कांग्रेस का स्वतंत्रता संग्राम के समय महान पार्टी से आज दयनीय पारिवारिक कंपनी बनने के पीछे एक वजह भारत में हिंदुत्व और अंधराष्ट्रीयता का बढ़ना है। केरल साहित्य महोत्सव के दूसरे दिन राष्ट्र भक्ति बनाम अंधराष्ट्रीयता विषय पर आयोजित सत्र में गुहा ने कहा, मैं निजी तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ नहीं हूं। वह सौम्य और सुसभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन युवा भारत एक खानदान की पांचवी पीढ़ी को नहीं चाहता। अगर आप मलयाली 2024 में दोबारा राहुल गांधी को चुनने की गलती करेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी को ही बढ़त देंगे। सत्र में मौजूद केरलवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा केरल ने भारत के लिए कई बेहतरीन काम किए हैं, लेकिन आपने संसद के लिए राहुल गांधी को चुनकर एक विनाशकारी कार्य किया है। राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में गांधी परिवार के गढ़ उत्तर प्रदेश के अमेठी में हार मिली थी जबकि केरल के वायनाड से उन्हें जीत मिली थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी की असली बढ़त यह है कि वह राहुल गांधी नहीं हैं। उन्होंने खुद यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने 15 साल तक राज्य को चलाया है और उनमें प्रशासनिक अनुभव है। वह उल्लेखनीय रूप से कठिन परिश्रम करते हैं और कभी यूरोप जाने के लिए छुट्टी नहीं लेते। मेरा विश्वास कीजिए, मैं यह सब गंभीरता से कह रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा और मुगल वंश के आखिरी दौर से उनकी स्थिति की तुलना की।

महत्वपूर्ण एवं खास

राष्ट्र विरोधी फेसबुक पोस्ट के लिए पत्रकार को 3 दिन की एफआईए हिरासत

लाहौर। लाहौर की एक अदालत ने फेसबुक पर एक देश विरोधी पोस्ट शेयर करने के आरोप में एक पत्रकार को फेडरल इनवेस्टिगेशन एजेंसी (एफआईए) की तीन दिन की हिरासत में भेज दिया है। डॉन न्यूज ने कहा कि चैनल फाइव और उर्दू समाचार पत्र खबरें से जुड़े अजहरुल हक वाहिद को एफआईए ने गुरुवार को गिरफ्तार किया था और उनके खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज किया था। दर्ज मामले के अनुसार, सोशल मीडिया की जांच के दौरान राष्ट्रविरोधी और सरकारी अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट वाहिद के नाम की फेसबुक प्रोफाइल से अपलोड किए गए। एफआईए ने पत्रकार को शुक्रवार को न्यायिक दंडाधिकारी यासिर अराफात के समक्ष पेश किया। एजेंसी के वकील ने यह कहते हुए वाहिद की रिमांड की मांग की कि उसे आगे की जांच के लिए इसकी जरूरत है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राष्ट्र विरोधी सामग्री क्या थी। वकील ने कहा कि आरोपी ने अपने फेसबुक पेज पर देश के राष्ट्रगान से छेड़छाड़ कर उसे अपमानजनक बनाकर साझा किया था। उन्होंने कहा कि पत्रकार के आवास पर भी तलाशी ली गई है।

अफगानिस्तान सेना की कारवाई में आठ आतंकवादी ढेर

काबुल। अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत लोगर और दक्षिणी प्रांत हेलमंड में सेना ने एक अभियान के दौरान कम से कम आठ तालिबानी आतंकवादियों को मार गिराया। रक्षा मंत्रालय के हवाले से अफगान मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार हेलमंड प्रांत के नहर-ए-सराज जिले में सेना के द्वारा किये गये हवाई हमले में छह तालिबानी आतंकवादियों की मौत हो गयी थी। इसके अलावा लोगर प्रांत के चरख जिले में सुरक्षा बलों की ओर से मारे गये छापे के दौरान दो तालिबानी आतंकवादियों मारे गये थे और दो अन्य आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके हथियारों को नष्ट कर दिया गया था।

चीन में जानलेवा वायरस से सैंकड़ों प्रभावित, दो लोगों की मौत

लंदन। चीन में अज्ञात वायरस से आधिकारिक तौर पर सैंकड़ों लोगों के प्रभावित होने की आशंका है। इस वायरस से दो लोगों की मौत हो चुकी है। यह वायरस एसएआरएस (सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम) से मिलता जुलता है। चीन के अधिकारियों ने बताया था कि इस वायरस से देश में 41 लोग प्रभावित हैं। वुहान में एक सीफूड बाजार इस वायरस का केंद्र है। लंदन के इम्पेरियल कॉलेज के वैज्ञानिकों ने एमआरसी सेंटर फॉर ग्लोबल इंफेक्शियस डिसीज एनालिसिस के साथ मिलकर शुक्रवार को एक अनुसंधान पत्र प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया है कि इस वायरस से प्रभावित लोगों की संख्या सैंकड़ों तक हो सकती है। केंद्र के वैज्ञानिकों ने कहा है उन्होंने अनुमान लगाया है कि वुहान में 12 जनवरी तक वायरस से प्रभावित 'लोगों की संख्या 1,723' तक हो सकती है। अनुसंधानकर्ताओं ने बताया कि चीन के अलावा दो मामले थाईलैंड में और एक मामला जापान में सामने आया है। इस शोध में शामिल प्रोफेसर नील फर्गुसन ने बीबीसी को बताया कि वुहान से तीन मामले विदेशों में रिपोर्ट किए गए हैं।

ईरान संकट के बीच कुरैशी से मिले पोम्पियो

वाशिंगटन। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी से वाशिंगटन में मुलाकात की और ईरान और अफगानिस्तान सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा जारी बयान में यह जानकारी दी गई। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक, अमेरिकी विदेश विभाग ने शुक्रवार को बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर बात की, जिनमें ईरान मुद्दा, अफगान शांति प्रक्रिया पर अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग और द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों का निर्माण शामिल है।

हाईकोर्ट ने पुलिस को कालिंदी कुंज रोड बंद होने के मामले पर दिया ऐक्शन का आदेश

नईदिल्ली (आरएनएस)। कालिंदी कुंज और शाहीन बाग का रास्ता बंद होने से छात्रों को हो रही परेशानियों पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को जल्द से जल्द मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, सीएए और एनआरसी के विरोध में शाहीन बाग में एक माह से अधिक समय से चल रहे धरने से आम जनता का जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। इस धरने के कारण लोगों में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। जो रास्ता पहले लोग 20-25 मिनट में तय करते थे उसे तय करने में अब एक तीन से चार घंटे लग रहे हैं।

बता दें, 15 दिसंबर से बंद पड़े कालिंदी कुंज-शाहीन बाग रास्ते के कारण कई छात्रों को भी परेशानी उठानी पड़ रही है। छात्रों का कहना है कि उनकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं। ऐसे में बंद रास्तों के कारण वे स्कूलों तक भी मुश्किल से पहुंच पा रहे हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से भी एक बार फिर प्रदर्शनकारियों से रास्ता खोलने की अपील की गई है। दिल्ली पुलिस की ओर से ट्वीट किया गया है, हम प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि सहयोग करें और जनता के हित में रास्ता खाली कर दें। इससे पहले किए गए एक और ट्वीट में कहा गया, हम शाहीन बाग में रोड 13ए पर बैठे प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वह हाइवे ब्लॉक होने की वजह से दिल्ली-एनसीआर के निवासियों, वरिष्ठ नागरिकों, मरीजों और स्कूल जाने वाले छात्रों की परेशानियों को समझें। यह मामला आदरणीय हाईकोर्ट में भी उठ चुका है। वहीं, लोगों का अधिकतर समय अब सड़कों पर बीत रहा है। एक तरफ जहां पुलिस-प्रशासन इस धरने को समाप्त करवा पाने में नाकाम साबित हो रहा है।

आतंकियों का सहयोगी डीएसपी देवेंद्र सिंह पर एनआईए ने कसा शिकंजा

» यूएपीए के तहत केस दर्ज

श्रीनगर (आरएनएस)। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू और कश्मीर के डीएसपी देवेंद्र सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट, विस्फोटक पदार्थ रखने और यूएपीए की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार, देवेंद्र सिंह पर यूएपीए की धारा 18,19,20, 38 और 39 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। यूएपीए की धारा 38 तब लगाई जाती है, जब किसी व्यक्ति के किसी आतंकी संगठन से जुड़ने की बात सामने आती है। यूएपीए एक्ट धारा 39, भी देवेंद्र सिंह और आतंकियों के ऊपर लगाई गई है। यह धारा आतंकी संगठनों को सहायता पहुंचाने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ लगाई जाती है।

बता दें कि हिजबुल के दो आतंकियों की सहायता करने पर देवेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की विस्तृत जांच के लिए एनआईए की एक और टीम सोमवार को जम्मू और कश्मीर रवाना होगी। आवश्यकता होने पर डीएसपी देवेंद्र सिंह को दिल्ली लाकर गहन पूछताछ की जाएगी। सूत्रों ने दावा किया है कि डीएसपी देवेंद्र सिंह की कार और घर से मिले एके-47, हैंड ग्रेनेड, पिस्टल और मोबाइल फोन की जांच भी फोरेंसिक टीम करेगी। एनआई की टीम डीएसपी के साथ पाकिस्तानी आतंकियों के लिंक के संबंध में भी पूछताछ करेगी।

एनएसए के तहत किसी को कर सकते हैं डिटेन

» दिल्ली पुलिस को एलजी ने दिया विशेष अधिकार

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत संदेह के आधार पर किसी को भी हिरासत में रखने का अधिकार दिल्ली पुलिस आयुक्त को दिया है। सूत्रों ने बताया कि रासुका कानून ऐसे व्यक्ति को एहतियातन महीनों तक हिरासत में रखने का अधिकार देता है, जिससे प्रशासन को राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए खतरा महसूस हो। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राष्ट्रीय राजधानी में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन हो रहे हैं। अधिसूचना के मुताबिक, उपराज्यपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 की धारा तीन की उपधारा (3) का इस्तेमाल करते हुए 19 जनवरी से 18 अप्रैल तक दिल्ली पुलिस आयुक्त को किसी को हिरासत में लेने का अधिकार दिया। यह अधिसूचना राज्यपाल की मंजूरी के बाद 10 जनवरी को जारी की गई थी। हालांकि, दिल्ली पुलिस का कहना है कि यह नियमित आदेश है जो हर तीन महीने पर जारी किया जाता है और मौजूदा परिस्थितियों से इसका कोई लेना-देना नहीं है।

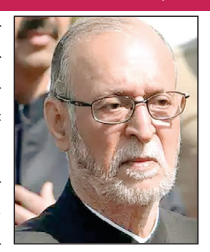

रासुका का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। इसमें हिरासत में लिए व्यक्ति को अधिकतम एक साल जेल में रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है। यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध नागरिक को हिरासत में लेने की शक्ति देता है।

देश में कई प्रकार के कानून बनाए गए हैं। ये कानून अलग-अलग स्थिति में लागू किए जाते हैं। इनमें से एक रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है। 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया था। ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है।

इंदिरा जयसिंह की नसीहत से निर्भया की मां नाराज़

» कहा- इन्हीं लोगों की वजह से नहीं रुक रहीं रेप की घटनाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। निर्भया गैंगरेप मामले के दोषियों को फांसी की सजा माफ करने की वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह की अपील पर निर्भया की मां आशा देवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। आशा देवी ने मीडिया के साथ बातचीत में इस बयान को लेकर कहा कि पूरा देश चाहता है कि निर्भया के दोषियों को फांसी पर जल्द से जल्द लटकाया जाए, ऐसे में इंदिरा जयसिंह कौन होती हैं यह सलाह देने वाली। आशा देवी ने वरिष्ठ वकील के बयान पर कहा कि वो औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ पा रही हैं। ऐसे लोगों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। निर्भया की मां ने कहा, मैं यह सोच भी नहीं सकती कि इंदिरा जयसिंह ने कैसे निर्भया के दोषियों को माफ करने की अपील की। मैं सुप्रीम कोर्ट में उनसे कई बार मिली हूं, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस बारे में मुझसे बात नहीं की और आज वो दोषियों को माफी देने की बात कर रही हैं। मैं हैरान हूं, दुष्कर्म करने वाले अपराधियों को माफी देने वाले ऐसे लोग मानवाधिकार के नाम पर धब्बा हैं। इन्हीं लोगों की वजह से देश में दुष्कर्म जैसी घटनाएं नहीं रुक रही हैं।

मोदी सरकार में शामिल हो सकते हैं कामत, दासगुप्ता

नईदिल्ली (आरएनएस)। ब्रिक्स बैंक के चेयरमैन के.वी. कामत और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, वरिष्ठ बैंकर कामत वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं और समय के साथ उनकी भूमिका बढ़ाई जा सकती है। कामत आईसीआईसीआई बैंक और इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके हैं और भारतीय तंत्र से अच्छी तरह परिचित हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा के दासगुप्ता मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रालय में जूनियर मंत्री के रूप में शामिल किए जा सकते हैं।

सभी प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में अस्थिरता के कारण एचआरडी मंत्रालय की घेराबंदी की गई है। दक्षिण भारत के मामले देख रहे एक अन्य विशेषज्ञ को भी मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। सरकार ने अगर मंत्रिमंडल में विशेषज्ञों को शामिल करने पर जोर देने का निर्णय लिया तो वह नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत को भी मंत्रिपरिषद में शामिल कर सकती है। पूर्व में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय संभाल चुके सुरेश प्रभु भी मोदी सरकार में वापसी कर सकते हैं। विशेषज्ञों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की प्रक्रिया के तहत मोदी ने हरदीप सिंह पुरी, के.जे. अल्फोंस और एम.जे. अकबर को मंत्रिपरिषद में शामिल किया था।

दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति का खिताब जीतने वाले खगेंद्र थापा मागर का निमोनिया से निधन

काठमांडू। दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति खगेंद्र थापा मागर का शुक्रवार को निधन हो गया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार खगेंद्र के भाई महेश थापा मागर ने बताया कि निमोनिया के चलते खगेंद्र पिछले कुछ दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। उन्होंने बताया कि इस दौरान निमोनिया के चलते उनके दिल पर भी असर पड़ा जिस कारण उनका निधन हो गया। शुक्रवार को उन्होंने तीन बजे आखिरी सांस ली। नेपाल के रहने वाले महज 67.8 सेंटीमीटर लंबे खगेंद्र थापा का नाम दुनिया के सबसे छोटे व्यक्ति का रिकॉर्ड था।

चिंदबरम कोलकाता के पार्क सर्कस में सीएए विरोधी प्रदर्शन में शामिल हुए

कोलकाता। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कोलकाता के पार्क सर्कस में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में शामिल हुए और वहां मौजूद लोगों को आश्वस्त किया कि उनकी पार्टी उनके साथ है। चिदंबरम शुक्रवार देर शाम पार्क सर्कस मैदान में पहुंचे थे, जब वह पार्टी संबंधी काम के सिलसिले में शहर में थे। प्रदर्शनकारियों ने उन्हें केंद्र की भाजपा नीत सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए घेर लिया। पूर्व वित्तमंत्री ने प्रदर्शनकारियों के साथ कुछ समय बिताया और उनमें से कुछ के साथ बातचीत करने के दौरान वह मुस्कुराते नजर आए।

कोलकाता के पार्क सर्कस में हो रहे प्रदर्शन को दिल्ली के शाहीन बाग में हो रहे प्रदर्शन का संस्करण बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से मुस्लिम महिलाएं शामिल हैं, जो सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ 12 दिनों से धरने पर हैं। शाहीन बाग प्रदर्शन से प्रेरित होकर सात जनवरी को स्थानीय पार्क में बड़े पैमाने पर आसपास की महिलाएं देश में जो कुछ हो रहा है उस पर चिंता, निराशा और गुस्से को व्यक्त करने के लिए जुट गई। उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, एक प्रस्तावित देशव्यापी राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। डॉक्टर, वकील, शिक्षक, प्रोफेसर जैसे शीर्ष पेशेवर से लेकर दूसरों के घरों में खाना पकाने या बर्तन धोने जैसा काम कर जीविकोपार्जन करने वाला हर कोई इसमें शामिल हो रहा है और यह संख्या हर दिन बढ़ती चली जा रही है।

इराक में सुरक्षाबलों से झड़प में दो प्रदर्शनकारियों की मौत

बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद में सरकार के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच झड़प में दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। कई सप्ताह तक प्रदर्शन बंद रहने के बाद विरोध की यह ताजा घटना है।

कार्यकर्ताओं और अधिकारियों ने बताया कि दंगा रोधी बल ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और तेज आवाज पैदा करने वाले बम फेंके। प्रदर्शनकारी सिनाक पुल पर थे और वे सीमेंट की दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस सीमेंट वाली दीवार को सुरक्षाबलों ने बनाया था। तीन कार्यकर्ताओं और एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दो लोगों की मौत हो गई और कम से कम 20 घायल हो गए। अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया कि प्रदर्शनकारी बड़े बदलाव, नया नेतृत्व और समय से पूर्व चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। बगदाद हवाई अड्डे के बाहर अमेरिकी ड्रोन हमले में ईरान के शीर्ष जनरल की मौत के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया था जिसके बाद ये प्रदर्शन रुक गए थे लेकिन कुछ समय की शांति के बाद प्रदर्शन फिर से शुरू हो गया।

नियमों की धज्जियां उड़ा रहीं पार्टियों पर चुनाव आयोग सख्त, उठाया बड़ा कदम

» दिल्ली विधानसभा चुनाव

नईदिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। वहीं भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सुची भी जारी कर दी है।

वहीं इस दौरान चुनावी मैदान में जहां राजनैतिक पार्टियों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। वहीं राजनीतिक पार्टियां नियमों का उल्लंघन करने से भी नहीं कतरा रही हैं। फिर चाहे वह भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी। दिल्ली चुनाव कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार आचार संहिता के उल्लंघन पर तीनों ही पार्टियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। अब तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ सर्वाधिक नौ मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं जबकि कांग्रेस पर चार और भाजपा के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा इन तीनों ही पार्टियों की डीडी एंट्री भी दिल्ली पुलिस ने की है।

चुनाव कार्यालय की ओर से 6 जनवरी से हर दिन आचार संहिता के सख्ती से पालन करने का निर्देश दे रखा है। लगातार आयोग की ओर से निकायों और दिल्ली पुलिस को भी निर्देश दिए जा रहे हैं। बावजूद इसके राजनैतिक पार्टियों की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। जनता के बीच खुद को स्वच्छ बताने और विपक्षी पार्टी को दोषी बताने का ये खेल नियमों की परवाह भी नहीं कर रहा।

दिल्ली चुनाव कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता की पार्टियों को भलीभांति जानकारी है। इसके बाद भी राजनीतिक दल इसका उल्लंघन कर रहे हैं। चुनाव कार्यालय ने राजनैतिक पार्टियों व अन्य लोगों पर 111 मुकदमे अब तक दर्ज कराये हैं। वहीं 98.93 लाख रुपये की नकदी और 127 किलोग्राम से ज्यादा नशीले पदार्थ जब्त किए हैं।